में ग्रारोपित किया गया था ग्रीर नहीं ऐसी घटना शासन के घ्यान में ग्राई है।

हाल ही में बने मध्य प्रदेश घर्म स्वातन्त्र्य अधिनियम, 1968 की धारा 4 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के किसी नाबालिंग, किसी महिला या किसी व्यक्ति के शक्ति, प्रलोभन अथवा घोले द्वारा धर्म परिवर्तन के लिए कठोर संजा की व्यवस्था है।

Compensatory Al'owance to High Court Judges on Transfer

6028. SHRI OM PRAKASH TYAGI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 6738 on the 30th August, 1968 and state:

- (a) the reasons for which the rules for fixing allowance to High Court Judges on transfer from one High Court to another have not been framed yet under Article 222 of the Constitution; and
- (b) the time by which the above rules are expected to be framed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) (b). Article 222(2) of the Constitution provides that a Judge transferred from one High Court to another shall be entitled to receive in addition to his salary such compensatory allowance as may be determined by Parliament by law until so determined, such compensatory allowance as the President may by order fix. The rate of compensatory allowance has been fixed at 10% of salary and in each case of transfer a Presidential Order is issued fixing the rate of compensatory allowance. Cases transfer not being many, it is not considered necessary to have a law enacted Parliament to regulate the grant compensatory allowance to a transferred Judge.

विज्ञान की विदेशी पुस्तकों को भारतीय भाषाम्रों में म्रनुवाद के लिये दिया गया स्वामित्व

6029. श्री ग्रोम प्रकाश त्यागी: क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विदेशी लेखकों की जिन विज्ञान की पुस्तकों का गत तीन वर्षों में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है उनके अनुवाद के लिए राजस्व के रूप में प्रति वर्ष अथवा इकट्ठा कितना धन विदेशों में भेजा गया है;
- (ख) भारतीय लेखकों को स्वयं विज्ञान की पुस्तकों लिखने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है; ग्रीर
- (ग) भारतीय लेखकों द्वारा म्रब तक कितनीपुस्तकेंलिखीजाचुकीहैं?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० मार० वी० राव): विज्ञान की विदेशी पुस्तकों को भारतीय भाषाम्रों में भ्रनूदित करने के लिए तीन वर्षों 1966, 1967 म्रौर 1968 के दौरान विदेशी प्रकाशकों को भारत के रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत रायल्टी निम्नलिखित है:—

1966 1,802.30 रु॰ ग्रीर 77 पींड

1967

1968 16,681.10 रु॰ भीर 343 पींड

(ख) वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली श्रायोग द्वारा संचालित विश्वविद्यालय स्तर की मानक रचनाओं के अनुवाद, निर्माण श्रीर प्रकाशन की योजना के अन्तर्गत, विज्ञान में मुल पुस्तकों के लेखकों को कुछ वित्तीय प्रोत्सा-हन दिया जाता है। एक केन्द्र प्रायोगित योजना के अधीन, जिसके अन्तर्गत लगभग 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, राज्य सरकारों से कहा गया गया है कि वे विश्व-विद्यालयों में उपयोग के लिए भारतीय भाषात्रों में विज्ञान में मुल रचनाओं सहित पुस्तकों के अनवाद और निर्माण की योजनाएं तैयार करें। वैज्ञानिक तथा श्रीद्योगिक श्रनुसंधान परिषद, वैज्ञानिकों को उसके ग्रनसंघान कार्य तथा भ्रन्य प्रकाशनों के संकलन श्रीर प्रकाशन के लिए. वित्तीय प्रोत्साहन देती है। स्कूल स्तरीय शिक्षा के लिए विज्ञान में अनुपूरक पाठ सामग्री के निर्माण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंघान तथा